न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला- चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी - महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र -37/2024

अनवान

1. श्री अशोक कुमार जाट पुत्र धन्नालाल जाट, जाति जाट, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम वहेलिया, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

-वादीगण

बनाम

1. महादेव गुर्जर पुत्र रामा जी गुर्जर, जाति गुर्जर, उम्र बालिग, निवासी ग्राम झालरवावड़ी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. नोरथ गुर्जर पुत्र रामदेव गुर्जर, जाति गुर्जर, उम्र बालिग, निवासी ग्राम झालरवावड़ी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. गिरधारी पुत्र माधा जी गुर्जर, जाति गुर्जर, उम्र वालिग, निवासी ग्राम झालरवावड़ी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
4. सांवरा पुत्र माधा जी गुर्जर, जाति गुर्जर, उम्र वालिग, निवासी ग्राम झालरवावड़ी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
5. धर्मा पुत्र हरदेव जी गुर्जर, जाति गुर्जर, उम्र वालिग, निवासी ग्राम झालरवावड़ी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
6. रमेश पुत्र टोडू जी गुर्जर, जाति गुर्जर, उम्र वालिग, निवासी ग्राम झालरवावड़ी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
7. माधा पुत्र हरलाल जी गुर्जर, जाति गुर्जर, उम्र वालिग, निवासी ग्राम झालरवावड़ी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
8. धर्मा पुत्र हरलाल जी गुर्जर, जाति गुर्जर, उम्र बालिग, निवासी ग्राम झालरवावड़ी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
9. भुआना पुत्र उदा भील, जाति भील, उम्र बालिग, निवासी ग्राम झालरवावड़ी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
10. वावूलाल पुत्र लक्ष्मण भील, जाति भील, उम्र वालिग, निवासी ग्राम झालरवावड़ी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
11. विरम पुत्र माधु गुर्जर, जाति गुर्जर, उम्र वालिग, निवासी ग्राम झालरवावड़ी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
12. मनरूप पुत्र माधू गुर्जर, जाति गुर्जर, उम्र बालिग, निवासी ग्राम झालरबावड़ी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
13. मांगू पुत्र हरदेव गुर्जर, जाति गुर्जर, उम्र बालिग, निवासी ग्राम झालरवावड़ी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
14. वावू पुत्र राजकुमार गुर्जर, जाति गुर्जर, उम्र वालिग, निवासी ग्राम झालरवावड़ी, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
15. ईशिका पाटील पुत्री प्रवीण सरंक्षक सरपरस्त माता ज्योति पाटील पत्नी प्रवीण पाटील, निवासी चेतक मार्केट, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
16. शिवम पाटील पुत्र प्रवीण सरंक्षक सरपरस्त माता ज्योति पाटील पत्नी प्रवीण पाटील, निवासी चेतक मार्केट, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
17. विमला वाई पत्नी चुन्नीलाल पाटील, निवासी चेतक मार्केट, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़,
18. जरिये भूमिधारी तहसीलदार, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

प्रतिवादी/विपक्षी

Signature Not Verified

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित - श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत अभिभाषक वादी
श्री आजाद हुसैन अभिभाषक अवादी
पेरोकार सरकार

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.01.31 11:55:07 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक 21.01.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मुझ वादी की क्रयशुदा कृषि आराजीयात जो ग्राम मौजा झालरबावड़ी, पटवार हल्का बाड़ोलिया, तहसील रावतभाटा में स्थित है जो जमाबंदी सम्वत् 2076-2079 की खाता संख्या 60 आराजी नम्बर 156, रकबा 1.0800 हैक्टर खाते में ईशिका पाटील, ज्योति पाटील, रामदेव, विमल बाई, शिवम पाटील के खाते दर्ज रिकॉर्ड है जिसमें रामदेव पुत्र राजमल उर्फ

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

रायमल गुर्जर निवासी गुर्जर बस्ती एनटीसी, रावतभाटा का 2/3 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है जिसे रामदेव ने मुझ वादी को जरिये विक्रय पत्र आराजी कीमतन राशि चार लाख रू0 में दिनांक 01.03.2024 को बेचान की थी जो श्रीमान् उपपंजीयक महोदय भैंसरोड़गढ़ मुकाम रावतभाटा के यहां दिनांक 01.03.2024 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 143 में पृष्ठ संख्या 6 क्रम संख्या 202403388100223 पर इन्द्राज है। जो ग्राम झालरबावड़ी की जमाबंदी सम्वत् 2076-2079 की खाता संख्या 60, खसरा संख्या 156, रकबा 1.0800 हैक्टर में 2/3 हिस्सा अर्थात् रकबा 0.7200 हैक्टर वादी के खाते दर्ज रिकॉर्ड है जो क्रय दिनांक से ही मैं वादी उक्त वर्णित कृषि आराजीयात पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चला आ रहा हूँ तथा क्रय दिनांक को ही रामदेव ने मुझ वादी को कब्जा सुपुर्द कर दिया था। दिनांक 04.04.2024 को वादी अपनी क्रयशुदा कृषि आराजीयात आराजी संख्या 156, रकबा 0.7200 हैक्टर पर गया तो वहां जाकर देखा कि विपक्षीगण संख्या 01 से 17 द्वारा वादी के खाते की कृषि आराजीयात रकबा 0.7200 हैक्टर कृषि भूमि पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर जमीन पर पत्थर डलवा दिये तथा जमीन पर कच्ची पक्की दिवारें बना ली है तथा चद्दरपोश कमरा भी बना दिया है, जिस पर मुझ वादी द्वारा ऐसा करने से मना किया तो विपक्षीगण संख्या 01 से 17 वादी साथ गाली गलोच कर मारपीट करने पर उतारू हो गए तथा कहने लगे कि हमने कब्जा कर लिया तो कर लिया , तुम्हें जो करना है कर लेना, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तथा मुझ वादी को धक्के मारकर हमें मेरी जमीन से बाहर निकाल दिया, इसलिए यह वाद पत्र बेदखली का न्यायालय श्रीमान् में पेश करना आवश्यक हुआ है। इसलिए वादीगण के खाते की जमीन रकबा 0.7200 हैक्टर से प्रतिवादीगण संख्या 01 से 17 को बेदखल कर कब्जा वादीगणों को दिलाया जाना न्यायोचित है तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 से 17 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वह वादीगण की क्रयशुदा कृषि आराजीयात संख्या 156 रकबा 0.7200 हैक्टर पर किसी प्रकार का अम दखल न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 से 14 की ओर से अधिवक्ता श्री आजाद हुसैन द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाब दावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 14 की ओर से संशोधित जवाब दावा इस प्रकार है कि वाद पत्र की कॉलम संख्या 01 में वर्णित जमाबंदी में वादी अशोक कुमार एवं अन्य के नाम दर्ज होना स्वीकार है, शेष इबारत जानकारी के अभाव में स्वीकार नहीं है, मौके पर हम प्रतिवादीगण नं. 1 से 14 का गत् 40 से 50 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है, वहां पर प्रतिवादीगण ने अपने कच्चे पक्के मकान व बाडे बना रखे है और उनमें आवास कर पशु पालन भी कर रहे है, मोके पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 15 अशोक कुमार का कब्जा होना स्वीकार नहीं है, वादीगण को भूमि क्रय करने समय कोई कब्जा नहीं दिया गया। स्वयं विक्रेता एवं वादीगण को सह पता नहीं था कि विवादित आराजीयात जो उन्होंने खरीद की है, कहां पर स्थित है, इसलिये उन्हें मौके पर कोई कब्जा नहीं दिया गया वादीगण ने केवल जमाबंदी के आधार पर प्रतिवादीगण को बेदखल कराने की कार्यवाही की है, वादी को मौके पर कोई कब्जा नहीं दिया गया था। कॉलम संख्या 02 स्वीकार नहीं है, वादी का यह कहना कि वादी की जमीन पर प्रतिवादीगण ने अनाधिकृत रूप से पत्थर डलवा दिये है और कच्ची पक्की दिवारे बना रखी है, जबकि वास्तविकता यह है कि प्रतिवादीगण संख्या 01 से 14 तक गत् 40 से 50 वर्षों से विवादित जमीन पर मकान व बाडे बना कर निवास कर रहे है और पशु पालन कर रहे है, शेष तथ्य सभी गलत अंकित किये गये है। वाद पत्र की कॉलम संख्या 03 स्वीकार नहीं है, प्रतिवादीगण ने वादीगण की जमीन की किसी भी भाग पर कोई कब्जा नहीं किया है,प्रतिवादीगण का कब्जा सरकारी भूमि पर चला आ रहा है। कॉलम संख्या 04 गलत होने से स्वीकार नहीं है, दिनांक 04/04/2024 को प्रतिवादीगण ने कोई अनाधिकार प्रवेश कर वादीगण की जमीन पर कब्जा नहीं किया है, वादीगण की जमीन पर कब्जा नहीं किया है,वादीगण कभी भी प्रतिवादीगण को ओलमा देने के लिये नही आये प्रतिवादीगण ने कभी कोई गाली गलोच या लडाई झगडा वादीगण के साथ नहीं किया है। अन्य कॉलम कानूनी होन से जवाब की आवश्यकता नहीं है। विशेष कथन इस प्रकार है कि प्रतिवादीगण [illegible] कब्जा गत् 40 से 50 वर्षों से निरन्तर चला आ रहा है, प्रतिवादीगण विवादित आराजीयात [illegible] कच्चे पक्के मकान निवास कर रहे है व बाडे बना कर पशु पालन कर रहे है। [illegible] बनाये उस समय विवादित आराजीयात बिलानाम सरकार दर्ज थी, जिसे सेटलमेंट के [illegible] नक्शे को गडवड कर दिया गया और कई आराजीयात को एक दुसरे में मर्ज कर बडे नम्बर बना दिये गये जिससे यह पता नहीं चल सकता है कि वादीगण की खातेदारी की आराजीयात कोनसी है और प्रतिवादीगण की कब्जे वाली जमीन कोनसी है। प्रतिवादीगण स्वयं सभी पशु पालक होकर काश्तकार की प्रतिभाषा में आते है और रा.टी.एक्ट के तहत आवास एवं पशुओं के लिये बिलानाम भूमि में पटटा प्राप्त करने के हकदार है। वादीगण ने दावे के साथ ही आर्डर 26 रूल 9 का प्रार्थना पत्र पेश कर अरजेन्ट में कमिश्नरी नियुक्ति का आदेश करवा लिया और प्रतिवादीगण के वकील की आपत्तियों को ध्यान में नहीं रख कमीश्नर नियुक्ति का आदेश दे दिया गया। कमीश्नर ने मोका निरीक्षण करते समय मोके पर किसी भी प्रतिवादी को नहीं बुलाया और

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.01.31 11:55:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

बिना सुने ही अपनी मनमर्जी से नक्शा बना कर नये प्रतिवादीगण संख्या 09 से 14 का नाम ओर जोड दिया गया और उनका भी मोके पर कब्जा दिखा दिया गया। कमीश्नर रिपोर्ट मौका कमीश्नर तहसीलदार रावतभाटा ने यह नहीं बताया कि किस आराजीयात में किन प्रतिवादी का किस जमीन पर कितना कब्जा है और उस कब्जें में उसने कितने फुट का बाडा व कितने फुट का मकान बना रखा है और वह बाडा व मकान किस कार्य में आ रहा है इन सभी कारणों से मोका कमिश्नर की रिपोर्ट अस्पष्ट होते हुए भी उस पर विश्वास कर रिकार्ड पर ले लिया गया और रिपोर्ट में वर्णित नामों को आर्डर 01 रूल 10 के तहत प्रतिवादी बनाये जाने का आदेश दे दिया गया। आर्डर 26 रूल 09 के प्रार्थना पत्र के लिये दावा पेश होने व जवाब दावा पेश होने के बाद यदि कोई अस्पष्टता हो उसके लिये कमिश्नर नियुक्ति के लिये न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है इस मामले में मोके पर कब्जे की जानकारी और शहादत एकत्रित करने के लिये कमिश्नर रिपोर्ट का सहारा लिया गया है, जो कानूनन अवैध और उस पर विचार नहीं किया जा सकता और ना ही रिकार्ड पर लिया जा सकता है और प्रदर्श भी नहीं कराया जा सकता है। वादी ने अपना वाद पत्र धारा 183, 188 रा0टी0 एक्त के तहत प्रस्तुत किया है जबकि कोई भी दावा एक साथ इन दोनो धाराओं में नहीं चल सकता। 188 में केवल वहीं व्यक्ति दावा ला सकता है जिसका मौके पर कब्जा हो और प्राईमाफेसी केस हो इस मामले में वादीगण का ना तो प्राईमाफेसी केस है और ना ही मौके पर कब्जा है ऐसी स्थित में वादी न्यायालय से कोई रिलीफ प्राप्त करने का हकदार नहीं है, इसी प्रकार धारा 183 में भी यह वाद चलने काबिज नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति को बेदखल कराने का अधिकार केवल 12 वर्ष तक ही रहता है और वादीगण का कब्जा 40 से 50 वर्ष पुराना है, राज्य सरकार के विरूद्ध भी प्रतिवादीगण का एडवर्सपजेशन है और 30 वर्ष से अधिक समय पुराना कब्जा हो जाने के कारण दावा चलने योग्य नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 15 से 17 की ओर से अधिवक्ता श्री बलवीर सिंह जादौन ने न्यायालय में उपस्थित हो जवाब पेश किया जवाब अनुसार ग्राम मौजा झालरबावडी की खाता संख्या 07 खसरा संख्या 156 रकबा 1.08है0 भूमि खाते में वादी अशोक कुमार जाट 2/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण ईशिका पाटील, शिवम पाटील, विमला बाई, ज्योति पाटील के हिस्से में 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है जो सही एवं सत्य है तथा प्रतिवादीगण संख्या 15,16,17 व ज्योति पाटील अपने हिस्सा 1/3 पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग कर रही है तथा 2/3 पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग कर रहा है जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 01 से 14 द्वारा अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर कब्जा कर जबरन कब्जा कर लिया है तथा हमारे भी कुछ हिस्से पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा कर लिया है जिस पर से भी प्रतिवादीगण संख्या 01 से 14 को बेदखल किया जाना न्यायोचित है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र सुदृढ आधारों पर आधारित होने से उसे स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 से 14 को खसरा संख्या 156 से बेदखल कर कब्जा वादी एव हम प्रतिवादी संख्या 15,16,17 एवं ज्योति पाटील को दिलाया जाना न्यायोचित है। वाद पत्र की कॉलम संख्या 02, 03,04 स्वीकार होकर जवाब है कि प्रतिवादीगण संख्या 01 से 17 द्वारा वादी एवं हमारी खाते की भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है जिन्हे बेदखल किया जाना न्यायोचित है। वाद पत्र की कॉलम संख्या 05, 06 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। अंत में निवेदन किया है कि वादी द्वारा जो दाद चाही गई है उसे प्राप्त करने का वह अधिकारी है तथा वादी एवं हम प्रतिवादी संख्या 15,16,17 व ज्योति पाटील के खाते की आराजी संख्या 156 रकबा 1.08है0 भूमि से प्रतिवादी संख्या 01 से 14 को बेदखल कर कब्जा वादी एवं हमे दिलाये जाने का आदेश प्रदान कर तदूनूसार डिक्री जारी फरमाई जावें।

प्रतिवादी संख्या 18 पेरोकार सरकार ने हस्तगत प्रकरण में प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 का स्वीकार होने से कमिश्नर मौका रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट अनुसार वाद पत्र में अंकित बिन्दु संख्या 01 में वर्णित तथ्य अनुसार ग्राम झालरबावडी प0ह0 झालरबावडी के खाता संख्या 103 आराजी संख्या 150 रकबा 2.21है0 भूमि अशोक कुमार पुत्र धन्नालाल जाट हिस्सा 1/10, कौशल कुमार पुत्र कन्हैयालाल ब्राहम्ण हिस्सा 9/20 एवं भूवनेश पुत्र राधेश्याम धाकड हिस्सा 9/20 के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है एंव इसी ग्राम के खाता संख्या 60 आराजी संख्या 156 रकबा 1.08है0 भूमि प्रार्थी [illegible] पुत्र धन्नालाल जाट हिस्सा 2/3 खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। वाद पत्र में वर्णित आराजी [illegible] 150, 156 की मौके एवं राजस्व रिकार्ड अनुसार जाचं की गई। उक्त आराजी[illegible] के लिये [illegible] ग्राम झालरबावडी के आराजी संख्या 118, 155, 157 से [illegible] उक्त आराजीयात की वास्तविक स्थिति उक्त आराजी की भुजाओं की जानकारी प्राप्त होने पर [illegible] गया कि प्रश्नगत आराजीयात की सीमाओं मे कच्ची-पक्की दिवारे बनाकर एवं टिन शेड डालकर बाडे बनाए हुए है। उक्त आराजी संख्या 150, 156, 157 पर खातेदारों का मौके पर कब्जा नहीं है। उक्त आराजी संख्या 150, 156, 157 पर कच्ची-पक्की बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है। जिसकी मौके पर उपस्थित मौतबिरानों से जानकारी होने पर जाहिर आया कि उक्त भूमि पर भुआना पिता उदा भील, बाबूलाल पिता लक्ष्मण भील, गिरधारी,

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.01.31 11:55:07 IST
Reason: SelfAttested

बिरम, मनरूप पिता माधू गुर्जर, मांगू, धर्मा पिता हरदेव गुर्जर, बाबू पिता रामकुमार गुर्जर का कब्जा होना पाया गया।

वादी ने वादपत्र के कथन की पुष्टि मे दस्तावेजी सबूत के रूप में ग्राम झालरबावडी पटवार हल्का झालरबावडी की जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 की खतौनी संख्या 60 की नकल प्रदर्श -1 व विक्रय पत्र को प्रदर्श-2 प्रस्तुत की तथा प्रतिवादी ने कोई दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं किये।

प्रकरण में वाद पत्र एवं प्रतिवाद पत्र के आधार पर 3 वाद बिन्दु कायम किये गये। मौखिक साक्ष्य के रूप में वादी अशोक कुमार ने अपने स्वयं का शपथपत्र प्रस्तुत कर बयान PW-1 कराये। बयान गवाह अनुसार ग्राम झालरबावडी की खाता संख्या 60 खसरा संख्या 156 की जमाबंदी प्रदर्श-1 है। मेरे द्वारा जमीन खरीद की गई जिसका विक्रय पत्र दिनांक 01.03.2024 है। उक्त समस्त दस्तावेज मेरे जमीन के है मैने जब जमीन खरीद की थी तब कब्जा प्राप्त कर लिया था। जिरह में वकील प्रतिवादी ने वादीगण खसरा संख्या 156 में ही मैने रामदेव गुर्जर से जमीन खरीदी। मुझे जिस जमीन पर कब्जा दिया गया उस जमीन के पडोस मुझे याद नहीं। मैने जो जमीन खरीदी, उसका रकबा कितना था मुझे याद नहीं। कब्जा देते समय विक्रेता रामदेव के अलावा और कोई नही था। मैने जो जमीन खरीदी वह दीपपुरा रोड से करीब 500 मीटर की दूरी व पेट्रोल पम्प से 500 मी दूर दक्षिण दिशा मे है में जमीन का कब्जा लेने के बाद कोई उपयोग उपभोग नही कर रहा हूं। 5-7 व्यक्तियों ने झोपडियों बना रखी है, कितनी बना रखी है मुझे पता नहीं। टीन शेड किसमा बना हुआ है यह भी मुझे पता नहीं। कमिश्नर मौके पर गये जब में वहां मौजुद नही था। मेरे द्वारा जमीन संभालने के कुछ दिन बाद प्रतिवादियों ने कब्जा कर लिया। प्रतिवादी संख्या 01, 4, 8, 11, ने अपने स्वयं का शपथ पत्र DW-1, DW-2, DW-3, DW-4 प्रस्तुत कर बयान कराये। बयान अनुसार यह कहना सही है कि ग्राम झालरबावडी क़ी खसरा संख्या 156 मेरे खाते की जमीन नहीं है। जिस जगह में काबिज हूं वह मेरे खाते नही है, वह बिलानाम है। कमिश्नर रिपोर्ट में मेरा कब्जा आराजी संख्या 156 पर बताया है वह क्यों बताया है मुझे पता नहीं। जिस जगह हम काबिज है उस जगह का कोई नल-बिजली कनेक्शन/दस्तावेज/सरकारी दस्तावेज मेरे पास नही है। मौके पर मेरा अवैध कब्जा है फिर खुद कहा की नाजायज कब्जा है। यह कहना सही है कि आराजी संख्या 156 ग्राम झालरबावडी वादी अशोक के खातेदारी रिकार्ड है।

हमने वाद पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। वकील वादी ने बहस में वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि वादीगण की खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम झालरबावडी में स्थित होकर वादीगण की खातेदारी में दर्ज है उक्त विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर लिया है। जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं था। अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा पुनः वादीगण को दिलाने एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने कि वह वादीगण के उक्त खातेदारी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे ना ही अन्य किसी व्यक्ति से करावें। तदनुसार डिक्री जारी फरमाई जावें। इसके विपरीत वकील प्रतिवादीगण ने जवाब में वाद पत्र के तथ्यों को अस्वीकर कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत तथ्य मनगढन्त व झूठे हैं। उक्त विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण विगत 30 सालों से भी अधिक समय से काबिज है। प्रतिवादीगण ने जिस समय मकान व बाडे बनाये उस समय विवादित आराजीयात बिलानाम सरकार दर्ज थी, जिसे सेटलमेंट के दौरान तमाम नक्शों को गडबड कर दिया गया और कई आराजीयात को एक दूसरे में मर्ज कर बडे नम्बर बना दिये गये जिससे यह पता नहीं चल सकता है कि वादीगण की खातेदारी की आराजीयात कोनसी है और प्रतिवादीगण की कब्जे वाली जमीन कोनसी है। प्रतिवादी वादीगण की जानकारी में उक्त आराजीयात पर काबिज है इसलिए कानूनन आराजी पर प्रतिवादीगण का अधिकार हो गया है। अतः उक्त विवादित [illegible] भी प्रतिवादीगण का एडवर्सपजेशन है और 30 वर्ष से अधिक समय पुराना कब्ज[illegible] जाने [illegible] कारण दावा चलने योग्य नहीं होने से खारीज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष [illegible] की बहस पर मनन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत शहादत सबूत के आधार पर प्रकरण में कायम वाद [illegible] निम्न प्रकार से निर्णित किये जाते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.01.31 11:55:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

तनकी नंबर -1

आया वाद वादी ग्राम झालरबावडी की आराजी संख्या 156 रकबा 1.08है मे से 0.72है0 से प्रतिवादीगण 1 से 17 को बेदखल कराने के अधिकारी है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने वाद पत्र के कथन की ताईद में दस्तावेजी सबूत के रूप में ग्राम झालरबावडी की नकल जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 की खतौनी संख्या 60 की नकल प्रदर्श -1 व ग्राम झालरबावडी की आराजी संख्या 156 में रकबा 1.08है0 मे से 2/3 हिस्सा का विक्रय पत्र प्रस्तुत किया जो प्रदर्श-2 है जिसके अवलोकन से ग्राम झालरबावडी की आराजी संख्या 156 रकबा 1.08है0 मे से वादी अशोक कुमार जाट पुत्र धन्नालाल जाट हिस्सा 2/3 जाति जाट निवासी बहेलिया, नाबालिग ईशिका पाटिल पुत्री प्रवीण सरंक्षक सरपस्त माता ज्योति पाटिल हिस्सा 1/12, विमल बाई पत्नि स्व0 चुन्नीलाल हिस्सा 1/12 जाति पाटील, नाबालिग शिवम पाटिल पुत्र प्रवीण सरंक्षक सरपरस्त माता ज्योति पाटील हिस्सा 1/12 के नाम सहखातेदारी हक से दर्ज है, जिससे उक्त विवादित आराजी वादीगण की खातेदारी की होना प्रथमदृष्ट्या पाया जाता है। वादी ने वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात को प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा करने का पेश किया है वादी को प्रतिवादीगण से पुनः कब्जा प्राप्त करने हेतु यह कब्जेयाबी का वाद प्रस्तुत किया है जिससे वाद कारण दिनांक 04.04.2024 से पैदा होना वादी ने वाद पत्र में अंकित किया है। प्रतिवादीगण ने अपने कब्जे के संबंध में उक्त विवादित आराजीयात को बिलानाम सरकार के नाम होना अंकित किया है, किस प्रकार बिलानाम सरकार भूमि है प्रतिवादी ने कहीं पर स्पष्ट नहीं किया है और ना ही सबूतों के आधार पर प्रमाणित करा पाए है तथा प्रतिवादी संख्या 15, 16, 17 द्वारा वादी के पक्ष में इकबाले जवाब से भी प्रतिवादी संख्या 1 से 14 कब्जा प्रमाणित होता है। प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत से वादी खातेदार होना साबित होने से वादी उक्त तनकी को साबित करा पाने में सफल रहे है, जिससे उक्त तनकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर -2

आया वाद वादी ग्राम झालरबावडी की आराजी संख्या 156 रकबा 0.72है0 भूमि के खातेदार है जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 से 17 अमल दखल कर रहे है जिन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है।

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी ने विवादित आराजीयात प्रतिवादीगण द्वारा अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर जमीन पर पत्थर डलवा दिये तथा जमीन पर कच्ची पक्की दिवारे बना ली है तथा चद्दरपोश कमरा भी बना दिया है वाद पत्र में कथन किया है एवं प्रतिवादीगण ने भी भूमि ग्राम झालरबावडी की खसरा संख्या 156 मेरे खाते दर्ज रिकार्ड नहीं है। मेरा उक्त जमीन पर अनाधिकृत कब्जा है। कब्जे बाबत दस्तावेज या सबूत मेरे नाम पे नही है। मे बिलानाम जमीन पर काबिज हूं। मेरे नाम से या अन्य के नाम नल, बिजली कनेक्शन भी नहीं है। राजस्व रिकार्ड में आराजी संख्या 156 वादी के दर्ज रिकार्ड हो तो मुझे जानकारी नहीं है। जिससे वादीगण की खातेदारी भूमि पर कब्जा कर लेने की पुष्टि होती है। क्योंकि प्रतिवादीगण ने कहीं पर स्पष्ट नहीं किया है कि यह भूमि किस आधार पर बिलानाम या उसके कब्जे काश्त आदि की है तथा जानकारी नहीं होने का कथन किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत से वादीगण खातेदार होकर प्रतिवादीगण से कब्जा अपनी भूमि का प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः उक्त तनकी उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण साबित करा पाने में सफल रहने से बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.01.31 11:55:07 IST
Reason: SelfAttested

तनकी नंबर -3

आया वाद प्रतिवादीगण वादग्रस्त जमीन पर कदीमी समय से काबिज [illegible]

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि को सरकारी बिलानाम होकर उस पर अपना कब्जा बताया है और सेटलमेंट [illegible]रान तमाम नक्शों में हेर फेर करना अंकित किया है, किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया है सेटलमेंट के दौरान गडबढी या सरकारी बिलानाम भूमि होना साबित नहीं कर पाया है। जहां तक प्रतिवादी का 30 वर्ष से अधिक समय से कब्जा होने का प्रश्न है कब्जे के संबंध में भी दस्तावेजी सबूत प्रतिवादीगण की ओर से जैसे धारा-91 की रसीदें, नल-बिजली कनेक्शन की छायाप्रतियों आदि प्रस्तुत नहीं हुई जिससे उक्त तनकी शहादत सबूत के अभाव में प्रतिवादीगण साबित करा पाने में विफल रहने से विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

अनुतोष –

वादीगण अपने जिम्मे के वाद बिन्दू साबित करा पाने में सफल रहने से वादी ग्राम झालरबावडी की आराजी नंबर 156 रकबा 1.08है मे से 0.72 है0 भूमि का कब्जा वादी प्राप्त करने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने की अधिकारी है।

–:आदेश:–

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम झालरबावडी की आराजी नंबर आराजी नंबर 156 रकबा 1.08है मे से 0.72है0 से प्रतिवादीगण का कब्जा हटाया जाकर कब्जा वादी को सुपुर्द करने का आदेश दिया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की उक्त आराजी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे ना ही कब्जा करे।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2025 को सुनाया गया। निर्णयानुसार डिक्री जारी की जावे तथा खर्चा पक्षकार अपना अपना वहन करें।

(महेश गगोरिया)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा
जिला चितौडगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.01.31 11:55:07 IST
Reason: SelfAttested